



मुहरबंद प्रस्ताव प्राप्त करने की
अवधि तिनि
12.02.2019 से 12.03.2019 साथ:
3.00 बजे तक

राजस्थान आवासन मण्डल, द्वारा

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर में

आवासीय भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी (जहाँ है जैसा है)
मुहरबंद प्रस्ताव खोलने व प्राप्त करने का स्थल-कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेवटर-8 कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर
कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर रा.आ.म. खण्ड चतुर्थ के अधीन आवासीय भूखण्ड

मुहरबंद प्राप्त प्रस्ताव को खोलने
की दिनांक
13.03.2019 प्रातः 11.00 बजे

क्र सं	आवासीय भूखण्ड संख्या	आय वर्ग	कॉर्नर / राष्ट्रारण	भूखण्ड का वास्तविक माप (वर्ग मीटर)	चूनतम बोली दर (प्र.वर्ग मीटर)	संलग्न की जांच वाली अमानत राशि	क्र सं	आवासीय भूखण्ड संख्या	आय वर्ग	कॉर्नर / राष्ट्रारण	भूखण्ड का वास्तविक माप (वर्ग मीटर)	चूनतम बोली दर (प्र.वर्ग मीटर)	संलग्न की जांच वाली अमानत राशि
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	8-A-63	H.I.G.	Corner	197.50	49000.00	483875.00	16	8-C-136	MIG-B	Corner	151.20	44500.00	336420.00
2	8-A-64	H.I.G.	Ordinary	208.42	47000.00	489787.00	17	8-C-137	MIG-B	Corner	143.55	44500.00	319399.00
3	8-A-65	H.I.G.	Ordinary	208.42	47000.00	489787.00	18	8-C-150	MIG-B	Corner	149.85	44500.00	333416.00
4	8-A-66	H.I.G.	Ordinary	208.42	47000.00	489787.00	19	8-C-151	MIG-B	Corner	176.40	44500.00	392490.00
5	8-A-85	H.I.G.	Ordinary	213.15	47000.00	500903.00	20	8-C-164	MIG-B	Corner	176.40	44500.00	392490.00
6	8-A-86	H.I.G.	Corner	208.075	49000.00	509784.00	21	8-C-165	MIG-B	Corner	176.40	44500.00	392490.00
7	8-A-159	H.I.G.	Corner	208.47	49000.00	510752.00	22	8-C-178	MIG-B	Corner	176.40	44500.00	392490.00
8	8-A-118	H.I.G.	Corner	298.24	49000.00	730688.00	23	8-L-170	L.I.G.	Ordinary	72.00	35300.00	127080.00
9	8-B-21	MIG-B	Corner	290.70	44500.00	646808.00	24	8-M-120	L.I.G.	Corner	72.0	37000.00	133200.00
10	8-B-22	MIG-B	Ordinary	162.00	43100.00	349110.00	25	8-M-135	L.I.G.	Corner	79.20	37000.00	146520.00
11	8-C-107	MIG-B	Corner	168.35	44500.00	374579.00	26	8-M-146	L.I.G.	Corner	81.60	37000.00	150960.00
12	8-C-108	MIG-B	Corner	169.15	44500.00	376359.00	27	8-H-285	E.W.S	Ordinary	55.00	31300.00	86075.00
13	8-C-109	MIG-B	Ordinary	187.95	43100.00	405032.00	28	8-H-286	E.W.S	Corner	88.00	32800.00	144320.00
14	8-C-110	MIG-B	Ordinary	187.95	43100.00	405032.00	29	8-J-44	E.W.S	Ordinary	55.00	31300.00	86075.00
15	8-C-77	MIG-B	Corner	144.00	44500.00	320400.00	30	8-J-74	E.W.S	Corner	76.17	32800.00	124919.00

मुहरबन्द प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :-

- नीलामी में भूखण्ड क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव दर्शाते हुए मुहरबन्द (चपड़ी द्वारा सील) लिफाफे में सर्वाधित कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त प्रथम सेक्टर 8 कुड़ी भगतासनी योजना जोधपुर में प्रस्तुत करें। लिफाफे में जिस भूखण्ड हेतु निवादा प्रस्तुत की जा रही है। उस भूखण्ड का विवरण /नक्बर स्पष्ट लिखना आवश्यक है।
- निवादाता द्वारा लिफाफे पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं दर्शाना अनिवार्य होगा।

नोट:-आवासीय भूखण्डों के लिए निर्धारित आरक्षित दर के अनुसार लीज राशि आरक्षित दर से भूखण्ड की कीमत की 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

नीलामी की शर्तें :-

- मुहरबन्द प्रस्ताव 11.02.2019 से 12.03.2019 साथ: 3:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। 2. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों के समझ मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त प्रथम सेक्टर 8 कुड़ी भगतासनी योजना जोधपुर में खोले जायेंगे। 3. निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त मुहरबन्द प्रस्ताव को खोला नहीं जायेगा एवं ऐसे प्रस्ताव निरस्त समझे जायेंगे। 4. भूखण्ड जहाँ है जैसा है के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। 5. भूखण्ड का माप योके अनुरूप होगा यानि की दशायी गई माप में बोलतरी हो सकती है। 6. नीलामी से सर्वाधित समस्त राशि नगद रूप में प्राप्त न की जाकर पै-आर्डर /बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में जोधपुर में देय हो के जरिये प्राप्त की जायेंगी। 7. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए निवादाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में पै-आर्डर /बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करनी होगी। 8. सशर्त बोली प्रस्ताव एवं अमानत राशि पै-आर्डर /बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव सीधे ही निरस्त माने जावेंगे। 9. निवादाता द्वारा दिये गये प्रस्ताव में अंकों व शब्दों में भरी राशि अंत होने पर शब्दों में लिखी गई राशि मात्र होगी। 10. अधिकतम मूल्य प्रस्ताव देने वाले निवादाता को नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करनी होगी। यदि जमा करने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश होते तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करनी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस में जमा करनी होगी यदि बोलीदाता द्वारा 60 दिवस की निर्धारित अवधि तक समर्त बकाया राशि जमा नहीं करने की शिक्षा में बोली की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी परन्तु यदि निवादाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समयावधि का अनुरूप ही प्रकरण के तहत ही प्रकरण को नियमित किया जा सकेगा। 12. आवंटन पत्र में स्वीकृत निवादा की शेष राशि के साथ मण्डल नियमानुसार लीज मनी एवं अन्य देय राशिया अलग से देय होगी। 13. एकल निवादा प्राप्त होने की स्थिति में भी निवादा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मण्डल मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 14. मुहरबन्द निवादा में एक से अधिक निवादा समान दर की प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा योग्य राशि अवधि तक समर्त बकाया राशि जमा नहीं करने की शिक्षा जमा करनी होगी। 15. एकल निवादाता एक से अधिक निवादा में भाग ले सकेगा एवं एक ही परिवार के सदस्य चाहे पुनः दर प्राप्त की जायेगी जो कि पूर्ण में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। 16. विक्रय किये गये भूखण्ड की सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के पश्चात 30 दिवस में लीज डील करवाना अनिवार्य होगा निवादाता यदि नाम लीज डील बनवाना चाहता है तो रुपये 10,000/- शुल्क देकर परिवर्तन करवा सकता है लीजडील जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में निर्माण नहीं करवाने पर विभागीय नियमानुसार शास्ति जमा करने से कर्य करने की अवधि से 5 वर्ष में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं या.आ.म. उस भूखण्ड को मास्मूक भानते हुए कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा निवादाता द्वारा निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकती। 17. निर्माण मण्डल द्वारा खीकूत नवको के अनुरूप करना होगा। 18. अन्य शर्त प्रपत्रानुसार एवं आवासन आयुक्त द्वारा जारी आदेश क्रमांक 28.01.2014 के अनुरूप मात्र होगा। 19. किसी भी मुहरबन्द प्रस्ताव /सभी प्रस्तावकों को बिना कारण बताये खीकूत या अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार रा.आ.म. के पास सुरक्षित है इस सार्वजनिक विवाद स्थिकार नहीं होगा। 20. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्त, बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप व अन्य विवरण मण्डल की वैबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर देखी जा सकती है एवं सर्वाधित सम्पर्क सूत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(एल एल गुरु)
आवासीय अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
खाड़ चतुर्थ, जोधपुर।
सेक्टर- 8, कुड़ी भगतासनी योजना,
जोधपुर फोन न. 9883993940

(के. एस. चौधरी)
उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त प्रथम, जोधपुर।
सेक्टर- 8, कुड़ी भगतासनी योजना,